

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

0/2116

क्रमांक -----/चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 27/05/2020

श्री अजीत कुमार तिकी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति पदोन्नति पर उच्च न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश फा. क्रमांक 5017/2019/21-ब(एक) दिनांक 14.10.2019 एवं उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1232/गोपनीय/2019/दो-2-1/2019(भाग-बी) दिनांक 07 नवम्बर, 2019 के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरपाटन जिला सतना के पद पर पदस्थापित किये जाने और उनके द्वारा दिनांक 25.11.2019 दोपहर पूर्व को कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उच्च न्यायिक सेवा के एंटी वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण दिनांक 25.11.2019 से निम्नानुसार किया जाता है:-

प्राप्त वेतनमान रु. 43690-56470/- में प्राप्त वेतन	उच्च न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक	आगामी वेतन वृद्धि का दिनांक
1	2	3	4	5
44770/- 12.03.2019	25.11.2019 (दोपहर पूर्व)	51550/-	25.11.2019	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य

Sd/-

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 27/5, 2020

पृष्ठांकन क्रमांक ...../चार-12-14/10

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अजीत कुमार तिकी, अपर जिला न्यायाधीश, अमरपाटन जिला सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Ashwini  
27.5.2020  
रजिस्ट्रार(एम)